डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. ShakuntalaMisra National Rehabilitation University, Lucknow

पत्रांकः 101/पत्रा. 1494/विज्ञापन/सम्बद्धता–2026–27/डीएसएमएनआरयू/2026–27 दिनांक 25.04.2026

आवश्यक सूचना

नवीन महाविद्यालयों/स्वैच्छिक संस्थाओं की सम्बद्धता (शैक्षणिक सत्र–2026–27) हेतु सम्बद्धता–आवेदन आमंत्रण के सम्बन्ध में।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 के अनुच्छेद 5(दो) में वर्णित/प्रचलित व्यवस्थान्तर्गत सम्बद्धता अध्यादेश/बाईलॉज–2018 के क्रम में, विश्वविद्यालय सम्बद्धता समिति की 31वीं बैठक एवं विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की 47वीं बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों/स्वैच्छिक संस्थाओं को सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के अनुपालन में, भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों की आगामी शैक्षणिक सत्र/बैच–2026–27 की सम्बद्धता प्रक्रियान्तर्गत, **उ0प्र0 राज्य के ऐसे इच्छुक सोसाइटी/ट्रस्ट/ कम्पनी/सरकारी संस्थाएं/स्थानीय निकाय द्वारा संचालित महाविद्यालय/संस्थाओं (निःशक्तजन अधिनियम, 1995/दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत), जो दिव्यांगता से संबंधित हों तथा दिव्यांगजन के पुनर्वासन हेतु कार्यरत् हों, वे सम्बद्धता हेतु आवेदन कर सकते हैं।**

सम्बद्धता से संबंधित आवेदन–प्रपत्र, आवेदन शुल्क एवं अन्य वांछित सूचनायें विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://dsmru.up.nic.in से डाउनलोड करके निर्धारित प्रारूप पर शुल्क के साथ जमा कर सकते हैं। निर्धारित सम्बद्धता–आवेदन शुल्क रू0 25000/–(रूपये पचीस हजार मात्र) प्रति पाठ्यक्रम (नॉन रिफण्डेबुल) के साथ पठनीय/स्पष्ट तथा समस्त वांछित सूचनाओं/संलग्नकों सहित निर्धारित प्रारूप पर **सम्बद्धता–आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 11 मई, 2026 निर्धारित की जाती है।** समय–समय पर सम्बद्धता से सम्बन्धित/निर्गत निर्देश, आदेश आदि समस्त यथापेक्षित सूचनायें विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ही प्रदर्शित की जायेंगी।

संलग्नक–यथोपरि।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. वैयक्तिक सहायक कुलपति को माननीय कुलपति महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकरी, विश्वविद्यालय।
3. उप कुलसचिव, विश्वविद्यालय।
4. सिस्टम एनालिस्ट, विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किये जाने हेतु।
5. गार्ड फाइल।

(रोहित सिंह)
कुलसचिव